भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *348
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

कुड्डालोर में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा देना

***348. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषतः कुड्डालोर सहित तमिलनाडु में काजू और कटहल संबंधी खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की विशेषतः कुड्डालोर जिले सहित तमिलनाडु में काजू संबंधी खाद्य संरक्षण गोदाम स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार के पास विशेषतः कुड्डालोर जिले सहित तमिलनाडु में सूक्ष्म और मध्यम स्तर के काजू खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के विकास के लिए कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "कुड्डालोर में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा देने" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से काजू और कटहल सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को सक्रिय रूप से समर्थन देता है।

ये योजनाएं खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को सभी क्षेत्रों में वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करती हैं, जिससे क्षमता विस्तार, नवाचार और औपचारिकीकरण में सुविधा होती है। सूक्ष्म और मध्यम स्तर के खाद्य प्रसंस्करणकर्ता भी पीएमकेएसवाई योजना के विभिन्न घटकों के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।पीएमएफ़एमई योजना असंगठित इकाइयों को संस्थागत ऋण, आधुनिक बुनियादी ढाँचे और बेहतर खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं तक उनकी पहुँच बढ़ाकर औपचारिक बनाने पर केंद्रित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) के तहत, मंत्रालय विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, वैश्विक बाजारों में भारतीय-ब्रांड वाले उपभोक्ता खाद्य उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों का समर्थन करता है। हालाँकि, मंत्रालय न तो सीधे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करता है और न ही स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज या गोदामों का समर्थन करता है।

पीएमकेएसवाई के तहत तमिलनाडु राज्य में घटक योजनाओं की शुरुआत से अब तक 84 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से एक परियोजना तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में घटक योजना, "कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन " (एपीसी) के तहत स्वीकृत की गई है।

पीएमएफएमई योजना मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। इस दृष्टिकोण के तहत, तमिलनाडु के कुड्डालोर और अरियालुर जिलों के लिए काजू आधारित उत्पादों को ओडीओपी के रूप में पहचाना गया है।

पीएमएफएमई योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में 13520 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है, 21407 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को प्रारंभिक पूँजी के साथ समर्थन दिया गया है और काजू सेब के लिए एक सहित 4 इनक्यूबेशन सेंटर को मंजूरी दी गई है। कुड्डालोर जिले में , 738 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है और 852 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रारंभिक पूँजी के लिए समर्थन दिया जा रहा है। कुड्डालोर में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए स्वीकृत 738 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में से 472 काजू आधारित उत्पादों के लिए हैं।

पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 13 उद्योगों के लिए 20 स्थान स्वीकृत किए गए हैं।

तमिलनाडु राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

मंत्रालय की पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएसपीआई योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है । उपर्युक्त योजनाएँ मांग आधारित हैं और इच्छुक लाभार्थियों को दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना और अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है। इन योजनाओं के तहत प्रोत्साहन उन आवेदकों को उपलब्ध हैं, जिनमें तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के लोग भी शामिल हैं, जो प्रत्येक योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

*****

अनुबंध - I

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु"कुड्डालोर में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा देने" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क. पीएमकेएसवाई की घटक योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
घटक योजना-- मेगा फूड पार्क योजना				
1	मेसर्स तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	77.024	23.64
घटक योजना-- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना				
2	मेसर्स फार्म फ्रेश बनाना	थेनी	15.54	6.06
3	मेसर्स फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स	थेनी	25.34	7.17
4	मेसर्स एसकेएम एनिमल फीड्स एंड फूड्स (इंडिया) लिमिटेड,	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, होसुर, त्रिची, तूतीकोरिन, सेलम	24.75	4.85
5	मेसर्स मार्बल वैली फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	तिरुनिवेली	32.47	8.24
6	मेसर्स एबीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कोयंबटूर	38.93	6.3
7	मेसर्स हत्सुन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड	कांचीपुरम और पलाकोडे	47.67	10
8	मेसर्स आची मसाला फूड्स प्रा. लिमिटेड	तिरुवल्लुर	45.57	8.14
9	मेसर्स मानसून बाउंटी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड	तिरुवल्लुर	11.37	3.42
10	मेसर्स कोकोलैंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	कोयंबटूर	9.66	2.94
11	मेसर्स सेलम जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड.	सेलम	4.74	1.43
12	मेसर्स स्वामी चिकेन्स प्राइवेट लिमिटेड	डिंडीगुल	48.56	9.82
13	मेसर्स शांति फीड्स प्राइवेट लिमिटेड	डिंडीगुल	46.7	9.9
14	मेसर्स शिवशक्ति मिल्क डेयरी	इरोड	16.75	4.96
15	मेसर्स जीआरबी डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	डिंडीगुल	24.24	6.3

16	मेसर्स गामा टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	तूतीकोरिन	20.11	5.73
17	मेसर्स एबीसी फ्रूट्स	कृष्णागिरी	28.59	10
18	मेसर्स नमक्कल जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	नमक्कल	89.29	6.89
19	मेसर्स कुप्पन्ना पोल्ट्री फार्म	तिरुपूर	52.28	10
20	मेसर्स कस्तूरी पोल्ट्री फार्म	डिंडीगुल	77.83	9.66
21	मेसर्स विजय डेयरी एंड फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	तिरुचरिपल्ली	35.81	9.85
22	मेसर्स लायन डेट्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	त्रिची	45	10
23	मेसर्स विष्णुकुमार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	कांचीपुरम	18.72	3.28
24	मेसर्स के कुप्पुसामी	त्रिची	10	3.74
घटक योजना-- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना				
25	मेसर्स जेएफके इंटरनेशनल	कोयंबटूर	16.71	4.1921
26	मेसर्स पी दुरैसामी महाराजा राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	तिरुपूर	26.83	8.7682
27	मैसर्स तिरुवन्नामलाई मार्केट कमेटी	तिरुवन्नामलाई	25.506	5.7487
28	मेसर्स सेलम मार्केट कमेटी	सेलम	25.252	5.9753
29	मेसर्स थेनी मार्केट कमेटी	थेनी	26.308	5.9955
30	मैसर्स धर्मपुरी मार्केट कमेटी	कृष्णागिरी	26.826	5.8937
31	मेसर्स मदुरै मार्केट कमेटी	मदुरै	32.066	5.7912
32	मेसर्स डिंडीगुल मार्केट कमेटी	डिंडीगुल	29.018	6.7357
33	मेसर्स कुड्डालोर मार्केट कमेटी	कुड्डालोर	25.002	5.9793
34	मेसर्स डेल्टा फूड्स	पुदुक्कोट्टई,	24.3125	7.4721
35	मेसर्स वामसी आरएस औद्योगिक क्षेत्र	इरोड	33.167	9.1351
36	मेसर्स इंटीग्रेटेड सर्विस पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड	तिरुवल्लुर	42.635	10
घटक योजना-- खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना				
37	मेसर्स नियो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	कृष्णागिरी	36.05	5.00
38	मेसर्स वीआर फूड एंटरप्राइजेज एलएलपी	चेन्नई	21.49	5.00
39	मेसर्स शिवशक्ति हैचरीज़ एंड फार्म्स	तिरुपुर	20.07	5.00
40	मेसर्स एसएनपी डेयरी मिल्क	मदुरै	15.08	4.18

41	मेसर्स एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (इंडिया) लिमिटेड	इरोड	19.99	5.00
42	मेसर्स साहूवाला फ्लोर मिल्स	इरोड	27.58	5.00
43	मेसर्स निस्विन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	कोयंबटूर	20.12	5.00
44	मेसर्स श्री फूड्स	मदुरै	10.46	2.64
45	मेसर्स सेंचुरी फ्लोर मिल्स लिमिटेड	चेन्नई	10.00	2.60
46	मेसर्स रेगिन एक्सपोर्ट्स	कन्याकुमारी	6.62	1.68
47	मेसर्स प्रेसना फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट – II)	कोयंबटूर	20.24	4.88
48	मेसर्स सैमसन सीएनओ इंडस्ट्रीज	तिरुपूर	9.58	3.16
49	मेसर्स हैंग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	इरोड	10.00	1.07
50	मेसर्स न्यूट्रिओम बायोसॉल्यूशंस	मदुरै	8.84	3.88
51	मेसर्स इंडिया बेवरेजेज	तिरुपुर	10.58	5.00
52	मेसर्स पी दुरैसामी महाराजा राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-I)	तिरुपुर	14.92	3.87
53	मेसर्स पी दुरैसामी महाराजा राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-II)	तिरुपुर	3.77	1.28
54	मेसर्स जेएफके इंटरनेशनल	कोयंबटूर	3.1709	1.10
55	मेसर्स जेएफके इंटरनेशनल	कोयंबटूर	10.6492	3.66
56	मेसर्स जेएफके इंटरनेशनल	कोयंबटूर	4.1191	1.42
57	मेसर्स जेएफके इंटरनेशनल	कोयंबटूर	5.3121	1.83
58	मेसर्स जेएफके इंटरनेशनल	कोयंबटूर	9.3716	3.20
59	मेसर्स पी दुरैसामी महाराजा राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	तिरुपुर	6.12	1.81
60	मेसर्स पी दुरैसामी महाराजा राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	तिरुपुर	10.26	3.08
61	मेसर्स डेल्टा इंस्टेंट फूड्स	पुड्डुकोटाई	19.30	5.00
62	मेसर्स जिविता लाइफसाइंस एलएलपी	तिरुवल्लुर	18.26	5.00
63	मेसर्स वीके अरुमुगा गौंडर संस	करूर	35.04	5.00
64	मेसर्स डेल्टा फ्रूट ड्रिंक्स	पुड्डुकोटाई	18.33	5.00
65	मेसर्स कुमारन ऑयल मिल	तिरुपूर	28.00	5.00
66	मेसर्स श्रीराम कोकोनट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	डिंडीगुल	4.30	1.11
67	मेसर्स एलीट नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड	कृष्णागिरी	22.09	4.56

68	मेसर्स ज़ेबेक फ़ूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	तिरुचिरापल्ली	8.20	2.98
69	मेसर्स डेल्टा मिलेट्स फ़ूड्स	पुड्डुकोटाई	15.60	5.00
70	मेसर्स पांडिया एग्रो फ़ूड्स	डिंडीगुल	7.10	2.80785
71	मेसर्स वामसी आरएस औद्योगिक क्षेत्र	इरोड	26.04	5
घटक योजना-- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना				
72	मेसर्स एग्रीबिजनेस कॉर्पोरेशन	अरियालुर	1.92	0.37
73	केरल इलायची प्रसंस्करण और विपणन कंपनी लिमिटेड	थेनी	11.73	1.63
74	मेसर्स जीडी फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	अरियालुर	8.55	3.34
75	एडीपी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	कृष्णागिरी	4.14	0.94
76	मेसर्स अमुथादेवी	तिरुचिरापल्ली	3.5	1.37
77	बेबी मरीन ईस्टर्न एक्सपोर्ट्स	तूतीकोरिन	12.16	2.23
78	मेसर्स एम. मोहन कुमार	तिरुचिरापल्ली	9.9	3.34
79	मेसर्स आरवी एग्रो फूड्स	डिंडीगुल	14	2.75
80	मेसर्स पी. षणमुगम	तिरुचिरापल्ली	9	3.83
घटक योजना-- ऑपरेशन ग्रीन्स				
81	मेसर्स शिवानीअग्रीहोर्टी प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	कोयंबटूर	18	8.35
82	मेसर्स कावालाइफ प्राइवेट लिमिटेड	कृष्णागिरी	10.5	2.8
83	मेसर्स अंगलामन हाई-टेक एग्रो इंडस्ट्री	इरोड	30.00	14.93
84	सुश्री/श्री वीरमथियाम्मन एग्रो सेंटर	इरोड	10.00	4.86

ख. पीएमएफएमई के तहत तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत इनक्यूबेशन सेंटर का विवरण

क्र.सं.	**ज़िला**	**मेजबान संस्थान**	**स्वीकृत अनुदान (लाख रुपए में)**	**मेजबान संस्थान को अनुदान जारी किया गया (रुपये लाख में)**	**स्थिति**
1.	कोयंबटूर	टीएनएयू, कोयंबटूर	256.00	219.80	प्रगति पर
2.	तिरुचिरापल्ली	आईसीएआर-एनआरसी केला	250.00	215.00	पूर्ण
3.	मदुरै	केवीके मदुरै	253.34	215.27	पूर्ण

4.	तंजावुर	शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय, तिरुमलाईसमुद्रम , तंजावुर (गैर सरकारी)	119.12	59.56	पूर्ण (काजू सेब के लिए)

ग. पीएलआईएसएफपीआई योजना के तहत प्रतिबद्ध निवेश वाली परियोजनाओं की सूची

क्रमांक	**लाभार्थी का नाम**	**क्षेत्र**	**ज़िला**	**वास्तविक/रिपोर्ट किया गया निवेश (करोड़ रुपये में)**
1.	मेसर्स डेल मोंटे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	कृष्णागिरी	25.4
2.	मेसर्स एक्सोटिक फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	कृष्णागिरी	6.36
3.	मैसर्स आची मसाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	तिरुवल्लूर	10.44
4.	मैसर्स आची मसाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	तिरुवल्लूर	1.38
5.	मैसर्स आची मसाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	तिरुवल्लूर	17.44
6.	मैसर्स आची मसाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	तिरुवल्लूर	6.86
7.	मैसर्स आची मसाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	तिरुवल्लूर	47.85
8.	मेसर्स पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्जियां	कांचीपुरम	24
9.	मेसर्स अश्विनी फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	थूथूकुडी	57.74
10.	मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	तिरुनेलवेली	200
11.	मेसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	इरोड	25
12.	मेसर्स आईटीसी लिमिटेड	उपभोक्ता उत्पाद (आरटीसी/आरटीई)	डिंडीगुल	24.8
13.	मेसर्स वेस्टर्न इंडिया कैश्यू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी 2-कार्बनिक	कन्याकुमारी	0
14.	मेसर्स क्रिस्टी सुपर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल	0

15.	मेसर्स रेबाला न्यूट्री फूडी प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल	0
16.	मेसर्स स्प्राउटलाइफ़ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमकल	0
17.	मेसर्स श्री वेलावन एग्रो	मिलेट एमएसएमई	तिरुचिरापल्ली	0
18.	मेसर्स होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	तिरुचेंगोडे	0
19.	मेसर्स होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल	0
20.	मेसर्स होलसम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	नमक्कल	0

अनुबंध-II

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु"कुड्डालोर में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा देने" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत सहायता का स्वरूप:

i. **एकीकृत शीत श्रृखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना:** सामान्य क्षेत्र में परियोजना के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और कठिन क्षेत्र के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता तीन बराबर किस्तों में जारी की जाती है ।

ii. **कृषि** प्रसंस्करण क्ल**स्टर अवसंरचना सृजन** : योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों, एफपीओ और एसएचजी सहित दुर्गम क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जो अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये तक होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता तीन बराबर किस्तों में जारी की जाती है ।

iii. **खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार:** इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों, एफपीओ और एसएचजी सहित दुर्गम क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये होगी। स्वीकृत अनुदान सहायता दो बराबर किस्तों में जारी की जाती है ।

iv. **खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना:** सरकारी संगठनों के लिए अनुदान 100% है, निजी संगठनों के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 50% तथा दुर्गम क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 70% है।

v. **ऑपरेशन ग्रीन्स योजना:** सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी और कठिन क्षेत्रों, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी। एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; और स्टैंडअलोन पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।

vi. **प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास योजना:** सरकारी संगठन के लिए अनुदान पात्र परियोजना लागत का 100% है और निजी संगठन के लिए यह सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 50% और कठिन क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 70% है।

पीएलआई योजना के अंतर्गत सहायता का स्वरूप:

i. योजना के श्रेणी-I, श्रेणी-II और मिलेट आधारित उत्पाद घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम वार्षिक बिक्री वृद्धि 10% प्राप्त करनी चाहिए। श्रेणी-I घटक के अंतर्गत, कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निवेश करना होगा। यदि कोई कंपनी 2023-24 के अंत तक प्रतिबद्ध निवेश नहीं करती है , तो वह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी।

ii. श्रेणी-III, अर्थात ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कोई कंपनी विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अध्यधीन है। पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम व्यय 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता का स्वरूप:

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन होगी।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना की क्षमता का एक बड़ा भाग किराये के आधार पर उपयोग के लिए अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध ।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****